राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1406/2003

दुर्गेश शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.07.2003
आदेश की दिनांक : 02.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 05.08.1988 (अनुलग्नक–1) द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता के रूप में हुई। निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर द्वारा समस्त उप निदेशक बाल विकास विभाग एवं पदेन परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 16.08.2001 (अनुलग्नक–2) द्वारा पत्र जारी किया, जिसमें दर्शाया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता से महिला पर्यवेक्षक के पद पर चयन किया जाना है, जिसमें योग्यता का उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी की आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसे 10 वर्ष का आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता का अनुभव होना चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अपीलार्थी उक्त सभी शैक्षणिक अर्हताएं धारित करती है इसलिए अपीलार्थी सहित 11 व्यक्तियों को सामान्य श्रेणी में महिला पर्यवेक्षक पद हेतु नाम भेजे गए, जिसमें अपीलार्थी ने अपने आपको सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी बताया है। अपीलार्थी से जयपुर में साक्षात्कार से पूर्व एक फॉर्म भरवाया गया। जिसमें भी अपीलार्थी ने अपने को सामान्य वर्ग का प्रत्याशी दर्शाया, जिसकी पुष्टि प्रार्थिया द्वारा भरे गये फॉर्म से की जा सकती है। अपीलार्थी ने दिनांक 14.12.1994 को श्री दिलिप कुमार बैरवा के साथ विवाह किया, जिसके संबंध में दिनांक 17.04.2003 (अनुलग्नक–3) को मैरिज रजिस्टार ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अजमेर ने एक प्रमाण पत्र जारी किया। अपीलार्थी द्वारा कभी भी नियुक्ति हेतु अपने आप को अनुसूचित जाति का सदस्य होने का अंकन नहीं किया। अपीलार्थी ने नियुक्ति दिये जाने हेतु आरक्षण का लाभ नहीं लिया एवं कभी भी अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अपीलार्थी को सामान्य श्रेणी की अभ्यर्थी मानते हुए आदेश दिनांक 13.05.2002 (अनुलग्नक–4) द्वारा महिला पर्यवेक्षक के पद पर जवाजा, अजमेर में नियुक्ति दी गई। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को

आदेश दिनांक 22.05.2002 (अनुलग्नक–5) द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया एवं दिनांक 23.05.2002 (अनुलग्नक–6) द्वारा अपीलार्थी ने जवाजा, अजमेर में कार्यभार ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात आदेश दिनांक 12.06.2002 (अनुलग्नक–7) द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी, जवाजा, अजमेर ने अपीलार्थी को कोटड़ा सेक्टर में आंगनबाडी केन्द्रों के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु लगाया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.02.2003 (अनुलग्नक–8) द्वारा निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर ने अपीलार्थी को एक नोटिस इस आशय पर दिया कि उसकी नियुक्ति अनुसूचित जाति के आधार पर प्रदान की गई थी और अब दिनांक 29.10.2002 को उसका जाति प्रमाण पत्र निरस्त हो गया है। अतः अपीलार्थी की महिला पर्यवेक्षक के पद पर की गई संविदा नियुक्ति को पत्र प्राप्ति के एक माह बाद से समाप्त कर दी जाएगी। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28.02.2003 (अनुलग्नक–9) द्वारा निदेशक महोदय को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया कि उसकी नियुक्ति सामान्य श्रेणी के रूप में हुई है न कि अनुसूचित जाति के रूप में। अतः इस आधार पर सेवामुक्ति किया जाना सही नहीं है। उपनिदेशक (प्रशासन) ने अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर दिनांक 21.03.2003 (अनुलग्नक–10) द्वारा पुनः 30 दिन का समय दिया। अपीलार्थी को महिला पर्यवेक्षक के पद पर प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र एमएलटीसी, जोधपुर में दिनांक 19.05.2003 से 11.07.2003 तक भेजने के आदेश जारी किए (अनुलग्नक–11)। अपीलार्थी ने जोधपुर में प्रशिक्षण केन्द्र पर दिनांक 19.05.2003 को जॉईन कर लिया। अपीलार्थी को पुनः आदेश दिनांक 04.06.2003 (अनुलग्नक–13) द्वारा एक माह पश्चात संविदा नियुक्ति को निरस्त करने करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी को अनुलग्नक–13 की अनुपालना में दिनांक 14.06.2003 (अनुलग्नक–14) द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र से जवाजा अजमेर के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.06.2003 (अनुलग्नक–13) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को सेवा मुक्त न करते हुए उसे सामान्य वर्ग की श्रेणी में मानते हुए महिला पर्यवेक्षक के पद पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे। अपीलार्थी की नियुक्ति सामान्य अभ्यर्थी के रूप में हुई है। अतः उसका जाति प्रमाण–पत्र निरस्त होने का संबंध उसकी सेवा से नहीं है एवं उसके निरस्त होने से उसकी सेवा पर कोई प्रभाव नहीं पडता।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर कहा कि अपीलार्थी सरकारी कर्मचारी न होकर मानदेय पर कार्यरत आंगनवाडी कार्यकर्ता है। जिसे एक वर्ष की अवधि या आरपीएसी से नियमित चयनित होने तक जो भी पहले हो के आधार पर संविदा पर एक मुश्त पारिश्रमिक पर महिला पर्यवेक्षक लगाया गया। अतः यह अधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अनुबंध प्रपत्र अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.05.2002 को निष्पादित किया गया है, जो अनुलग्नक–आर/1 पर उपलब्ध है। साथ ही निवेदन किया गया है कि अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिए था, जिसे आगे नहीं बढाया गया है।

अपीलार्थी का अनुबंध आदेश दिनांक 07.04.2003 (सही तिथि 04.07.2003) से समाप्त कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा चुकी है (अनुलग्नक–आर/2)। प्रत्यर्थी विभाग ने निवेदन किया कि राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1998 के अनुसार महिला पर्यवेक्षेक का पद सीधी भर्ती का पद है, जिसके लिए चयन/भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित है। सीधी भर्ती की प्रक्रिया नहीं होने एवं बडी संख्या में महिला पर्यवेक्षक के पद रिक्त होने से मानदेय पर कार्यरत आंगनवाडी कार्यकर्ताओ को संविदा पर निर्धारित पारिश्रमिक पर एक साल अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से नियमित चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले हो तक लगाया गया। इससे इनके कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते। अपीलार्थी ने अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र प्राप्त लिया ताकि एससी के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति में लाभ प्राप्त कर सके। अनुसूचित जाति प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारी तहसीलदार अजमेर ने जाति प्रमाण–पत्र निरस्त कर पत्र दिनांक 29.10.2002 सूचित किया जा चुका है (अनुलग्नक–आर/3)। अतः अपीलार्थी इस संवर्ग में संविदा पर नियुक्ति की अधिकारी नहीं है। परिपत्र दिनांक 16.08.2001 (अनुलग्नक–2) विभाग का आंतरिक पत्राचार है, जो सूचनाएं एकत्र करने हेतु जारी किया गया ताकि पेनल बनाया जा सके परन्तु उसका कभी उपयोग नहीं किया। अपीलार्थी को संविदा पर लगाया गया था। अतः अपील खारिज योग्य है।

अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के जवाब का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय अधिकरण को अस्थाई/संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के प्रकरण को सुनने का पूर्ण अधिकार है। प्रशिक्षण के पश्चात अपीलार्थी के समकक्ष समस्त कार्मिकों को स्क्रीनिंग करके परिवीक्षाकाल पर आदेश दिनांक 7–9–2006 (अनुलग्नक–15) द्वारा नियुक्ति दी गई और दिनांक 23–3–2009 (अनुलग्नक–16) के द्वारा परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात वेतन में वृद्धि की गई तत्पश्चात 14.05.2009 (अनुलग्नक–17) के द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर वेतन श्रृंख्ला 5200–20200 में वेतन निर्धारण कर दिया गया । उपरोक्त आदेशों में परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारी व नियमित किये गये कर्मचारी अपीलार्थिया जैसे कर्मचारी थे जिनको भी ट्रेनिंग करने के पश्चात नियुक्ति दी गई। इसके पश्चात 09.05.2011 (अनुलग्नक–18) के द्वारा नियमों में संशोधन करते हुए अपीलार्थिया जैसे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमित नियुक्ति किये जाने का प्रावधान रखा गया। यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि इससे पूर्व में भी अपीलार्थिया के साथ नियुक्त कर्मचारियों को नियमित किया गया जैसाकि पूर्व में प्रस्तुत आदेश दिनांक 7–9–2006, 23–3–2009 व 14 मई, 2009 से स्पष्ट है। अपीलार्थिया को समय–समय पर विभाग द्वारा ट्रेनिंग में भेजा गया जो सफलतापूर्वक पास की (अनुलग्नक–19)। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.02.2012 (अनुलग्नक–20) द्वारा अनुचित रूप से सेवामुक्त कर दिया गया, जो अनुचित एवं अवैध था। अधिकरण

में अवमानना प्रकरण दायर करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 07.02.2012 को वापस ले लिया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जावे।

प्रकरण में विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 67732 दिनांक 04.06.2023 (अनुलग्नक–13) द्वारा अपीलार्थी की महिला पर्यवेक्षक के पद पर राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग में कि गई संविदा नियुक्ति को निरस्त करने हेतु नोटिस जारी किया गया है, के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षेप तथ्य यह है कि अपीलार्थी को दिनांक 05.08.1988 (अनुलग्नक–1) द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी अजमेर द्वारा आंगनवाडी कार्यकर्ता के रूप में मानदेय नियुक्ति प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आंगनवाडी कार्यकता से महिला पर्यवेक्षक के पद पर चयन हेतु समस्त अधिनस्थ कार्यालयों से सूचना चाही गई (अनुलग्नक–2)। जिसके अनुसार महिला पर्यवेक्षक के पद हेतु चयन की योग्यता न्यूनतम सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण, आंगनवाडी कार्यकर्ता के पद का दस वर्ष का अनुभव तथा निर्धारित 43 वर्ष आयु सीमा होना आवश्यक है। इस पत्र के अनुसार अधिकतम आयु दिनांक 01.01.2002 को 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अपीलार्थी सामान्य श्रेणी की महिला है परन्तु उसका विवाह अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ हुआ है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त वर्णित नियमों के अन्तर्गत अस्थाई आधार पर कार्यग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष अथवा नियमित रूप से नियुक्त पर्यवेक्षक उपलब्ध होने पर, जो भी पहले हो, संविदा के आधार पर प्रतिमाह एक मुश्त भुगतान पर नियुक्त करने के आदेश दिनांक 13.05.2002 को जारी किये गये (अनुलग्नक–4)। जिसमें अपीलार्थी की जन्मतिथि दिनांक 01.05.1961 अंकित है और आंगनवाडी कार्यकर्ता के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि 06.08.1988 एवं शैक्षणिक योग्यता एम.ए. अंकित है। आदेश दिनांक 22.05.2002 द्वारा पदस्थापन आदेश (अनुलग्नक–5) जारी होने पर उसकी अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.05.2002 को अपनी उपस्थिति प्रदान की गई (अनुलग्नक–6) और उसे कोटडा सेक्टर आवंटित किया गया (अनुलग्नक–7)। तत्पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 15.02.2003 (अनुलग्नक–8) द्वारा अपीलार्थी को नोटिस दिया गया कि विभागीय आदेश दिनांक 13.05.2002 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी को महिला पर्यवेक्षक के पद पर संविदा के आधार पर अनुसूचित जाति के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई थी उस संविदा नियुक्ति को समाप्त किया जाता है क्योंकि तहसीलदार अजमेर के पत्र दिनांक 29.10.2002 द्वारा जाति प्रमाण–पत्र निरस्त किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी को नोटिस के एक माह पश्चात महिला पर्यवेक्षक के पद पर संविदा नियुक्ति को समाप्त कर दिया जायेगा (अनुलग्नक–8)। जिसका जवाब अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को दिया गया। जिसमें उसने निवेदन किया कि अपीलार्थी की नियुक्ति सामान्य वर्ग के आधार पर

हुई है। अपीलार्थी के पति अनुसूचित जाति के हैं। उन्होंने अज्ञानतावश तहसील अजमेर में अनुसूचित जाति के प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन किया था, किन्तु उनके द्वारा पुनः तहसील अजमेर में प्रमाण–पत्र प्रेषित करवा दिया गया और किसी परिलाभ की दृष्टि से इसका उपयोग नहीं किया गया है और इस आधार पर जारी नोटिस को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया (अनुलग्नक–9)। प्रत्यर्थी विभाग द्वार पुनः नोटिस अपीलार्थी को दिनांक 21.03.2003 को दिया जाकर अपीलार्थी से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने हेतु 30 दिन का समय दिया गया (अनुलग्नक–10)। अपीलार्थी के महिला पर्यवेक्षक के पद पर चयन होने के पश्चात उसे प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र एमएलटीसी, जोधपुर में दिनांक 19.05.2003 से 11.07.2003 तक के लिए नामांकित किया गया (अनुलग्नक–11)। आलोच्य आदेश दिनांक 04.06.2003 (अनुलग्नक–13) द्वारा अपीलार्थी की प्रत्यर्थी विभाग द्वारा महिला पर्यवेक्षक के पद पर की गई संविदा नियुक्ति को समाप्त करने हेतु पुनः नोटिस जारी किया गया। जिसमें यह अंकित है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.05.2002 द्वारा महिला पर्यवेक्षक के पद पर संविदा आधार पर अनुसूचित जाति के आधार पर आरक्षित वर्ग में नियुक्ति प्रदान की गई थी एवं तहसीलदार अजमेर द्वारा जाति प्रमाण–पत्र निरस्त किया जा चुका है और इस कारण अपीलार्थी को अनुसूचित जाति से नियुक्ति में देय आरक्षण परिलाभ नहीं होने से नियुक्ति समाप्त करने का उल्लेख किया गया है और इस पत्र के आधार पर अपीलार्थी को प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा अपीलार्थी को प्रशिक्षण से कार्यमुक्त किया गया था (अनुलग्नक–14)। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी का आगे कथन है कि उसकी नियुक्ति अनुसूचित जाति वर्ग के आधार पर न होकर सामान्य श्रेणी में हुई है। जिसके पक्ष में जारी अनुसूचित जाति के प्रमाण–पत्र का इस नियुक्ति में कोई लाभ नहीं लिया गया है। तहसीलदार अजमेर द्वारा उस जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने से उसकी नियुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पडता है और इसी आधार पर अधिकरण द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 04.06.2003 द्वारा आलोच्य आदेश के क्रियान्वयन को अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है। जो वर्तमान में प्रभावी है।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी सरकारी कर्मचारी न होकर संविदा पर कार्यरत है। जिसे एक वर्ष की अवधि या आरपीएसी से नियमित चयनित होने तक, जो भी पहले हो, के आधार पर संविदा पर मासिक एक मुश्त भुगतान पर लगाया गया। अतः यह अधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अनुबंध प्रपत्र अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.05.2002 को निष्पादित किया गया है, जो अनुलग्नक–आर/1 पर उपलब्ध है। साथ ही निवेदन किया गया है कि अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिए था, जिसे आगे नहीं बढाया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य है। साथ ही निवेदन किया कि विभाग में महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पदों को ध्यान में रखते हुए आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को अनुबंध के आधार पर समेकित

मजदूरी पर नियुक्त किया गया है। साथ ही अपीलार्थी को जारी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र तहसीलदार अजमेर द्वारा निरस्त किया जा चुका है। जिसके आधार पर जारी आदेश नियमानुसार है। अपील के साथ प्रस्तुत अनुलग्नक–2 का कोई औचित्य इस प्रकरण में नहीं है, क्योकि पैनल कार्मिकों की मात्र सूचना एकत्रित करने हेतु पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 13.05.2002 द्वारा मात्र अनुबंध पर सीमित अवधि के लिए रखा गया था। आदेश दिनांक 07.04.2003 (सही तिथि 04.07.2003) द्वारा अपीलार्थी की महिला पर्यवेक्षक के पद पर संविदा नियुक्ति को समाप्त किया जा चुका है (अनुलग्नक–आर/2)। तहसीलदार अजमेर द्वारा अनुसूचित वर्ग का प्रमाण–पत्र पर निरस्ती की सूचना पत्र दिनांक 29.10.2002 द्वारा प्रदान की गई (अनुलग्नक–आर/3)। अपीलार्थी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु धारित करने से संविदा नियुक्ति की पात्र नहीं थी। इसलिए अनुसूचित जाति के प्रमाण–पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की गई। अनुसूचित जाति प्रमाण–पत्र निरस्त किया जा चुका है। अतः प्रत्यर्थी विभाग की कार्यवाही नियमानुसार होने से अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

सर्वप्रथम प्रकरण अधिकरण के सुनवाई क्षेत्राधिकार क्षेत्र में नही आने के संबंध मे प्रश्न है। राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण एक्ट 1976 के नियम 2सी में राजकीय कार्मिकों को परिभाषित किया है कि जिसके अनुसार अनुबंध पर कार्यरत कार्मिकों को इसमें शामिल माना गया है। इस लिहाज से प्रस्तुत प्रकरण अधिकरण के श्रवणाधिकार में आता है।

प्रस्तुत अपील में विचारणीय विषय निम्न है कि क्या अपीलार्थी को बतौर अनुसूचित जाति के कर्मचारी के तौर पर अनुबंध पर महिला पर्यवेक्षक के पद पर लगाया गया। क्या अपीलार्थी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में तत्समय नियुक्ति की पात्र थी एवं क्या अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को निरस्त करने के पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की अनुबंध नियुक्ति को नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया द्वारा समाप्त किया है।

सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.06.2003 (अनुलग्नक–13) को अपास्त करने का अनुतोष चाहा है, जबकि दिनांक 04.06.2003 प्रत्यर्थी विभाग का अपीलार्थी की संविदा नियुक्ति समाप्त करने का नोटिस मात्र है। अपीलार्थी की संविदा नियुक्ति को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.07.2003 (अनुलग्नक–आर/2) द्वारा समाप्त किया गया है। अतः अनुतोष ही त्रुटिपूर्ण है।

महिला एवं बाल विकास विभाग में मानदेय पर आंगनवाडी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत कार्मिक को महिला पर्यवेक्षक के पद पर संविदा पर नियुक्त करने के संबंध में क्या प्रावधान थे यह प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बहस के दौरान उपलब्ध कराये गये। जिसको पत्रावली पर रिकॉर्ड में लिया गया है, के अनुसार शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता बोर्ड

से माध्यमिक और आंगनवाडी कार्यकर्ता के पद पर 10 वर्ष पूर्ण किया जाना आवश्यक है। आयु सीमा के संबंध में यह स्पष्ट अंकित है कि राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधिनस्थ) सेवा नियम 1958 के नियम 14 के अनुसार भर्ती हेतु नियत अंतिम तिथि के ठीक बाद आने वाले जनवरी माह की प्रथम तिथि को अधिनस्थ सेवा के लिए 18 वर्ष होना चाहिए किन्तु 33 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में आयु सीमा में दस वर्ष की छूट एवं सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का प्रावधान होना बताया है। हस्तगत प्रकरण में आयु की गणना कट ऑफ दिनांक 01.01.2002 के संदर्भ में की गई है, जिसके अनुसार सामान्य महिलाओं के लिए दिनांक 01.01.1964 एवं एससी/एसटी/अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए दिनांक 01.01.1959 के पश्चात का जन्म होना आवश्यक है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 10 वर्ष अनुभव के लिए कट ऑफ दिनांक 01.04.1991 निर्धारित की गई है। इस प्रकार आयु की गणना दिनांक 01.01.2002 की संदर्भ तिथि से किये जाने की दशा में सामान्य श्रेणी की महिला दिनांक 01.01.1964 के पश्चात तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग की महिलाएं दिनांक 01.01. 1959 के पश्चात का जन्म होना चाहिए। अपीलार्थी की जन्म तिथि 01.05.1961 होना उपलब्ध है। इस आधार पर अपीलार्थी सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित आयु सीमा में नहीं थी। Rajasthan Women and Child Development (State and Subordinate) Service Rules, 1998 में आयु एवं अनुभव के संबंध में निम्न प्रावधान हैः—

(A) उक्त नियमों के संलग्न अनुसूची में आंगनबाडी कार्यकर्ता से महिला पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती हेतु निम्न प्रावधान है।

Group-I

S. No.	Name of post	source of recruitment with percentage		Miniumu Qualification & experience for direct recruitment	Promotion		Remarks
		Direct recruitment	Promotion		Post from which promotion is to be made	Qualificaion & Experience for promotion	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Supervisor	100% (75% from open market candidates and 25% from Anganwadi Workers)	-	For open market Candidates Degree of University establlshed by low in India. For Anganwadi Workers Matriculate/Secondary of a recognized Board or Higher Secondary under old scheme of a recognized Board & must have completed 10 years as Anganwadi Worker	-	-	-

(B) आयु के संबंध में नियम 14 में निम्न प्रावधान हैः–

"14. Age.- A candidate for direct recruitment to a post included in the Schedule, must have attained the age of 21 years for State Service posts and 18 years for subordinate service posts and must not have attained the age of 33 years on the first day of January next following the last date fixed for receipt of applications.

Provided that:-

(1) the upper age limit mentioned above, shall be relaxed by 5 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Women Candidates."

नियमों के उक्त प्रावधान के अनुसार सामान्य श्रेणी की महिला जिसका जन्म दिनांक 01.01.1964 के पश्चात हुआ है वही इसमें पात्र हैं। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी का जन्म दिनांक 01.05.1961 है जिससे स्पष्ट है अपीलार्थी बतौर सामान्य श्रेणी अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2002 को महिला पर्यवेक्षक के पद हेतु निर्धारित 38 वर्ष की आयु सीमा से अधिक आयु धारित करती थी एवं बतौर अनुसूचित जाति महिला अपीलार्थी निर्धारित आयु सीमा में आती है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी पर्यवेक्षक के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सामान्य वर्ग में अधिक आयु होने से पात्र नहीं थी बतौर अनुसूचित जाति की आयु सीमा में होने से पात्र थी। यद्यपि जारी संविदा नियुक्ति आदेश दिनांक 13.05.2002 में नियुक्त किसी भी कार्मिक के जाति वर्ग का उल्लेख नहीं है। विचारणीय यह है कि यदि अपीलार्थी ने वर्ष 1994 में सम्पन्न हुई शादी के आधार पर वर्ष 2003 में विवाह प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता क्यों पडी और महिला पर्यवेक्षक के पद पर संविदा पर नियुक्त किये जाने से पूर्व अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसकी नियुक्ति के पश्चात जाति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने की सूचना तहसीलदार अजमेर को प्राप्त होने के (अनुलग्नक–आर/3) बाद जो कार्यवाही की गई है और जो नियमों की जो स्थिति है उससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी महिला पर्यवेक्षक के पद पर सामान्य श्रेणी में निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु होने के कारण सामान्य वर्ग में संविदा पर लगाये जाने हेतु पात्र नहीं थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा संविदा अनुबंध के अनुसार अपीलार्थी को समुचित नोटिस दिये जाने के पश्चात संविदा नियुक्ति को समाप्त किया है, अर्थात विधिवत प्रक्रिया का पालन किया गया है।

उक्त समस्त तथ्यों के आलोक में हमारा विनम्र मत है कि अपीलार्थी संविदा पर महिला पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त किये जाने की तिथि को सामान्य श्रेणी की अभ्यर्थी के रूप में निर्धारित आयु से अधिक आयु होने के कारण पात्र नहीं थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकॉर्ड के आधार पर महिला पर्यवेक्षक के पद पर अनुसूचित जाति वर्ग में संविदा नियुक्ति प्रदान की गई थी और अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र तहसीलदार अजमेर द्वारा निरस्त किये जाने और इसकी सूचना प्रत्यर्थी विभाग को दिये जाने के कारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 04.07.2003 जारी कर अपीलार्थी को

महिला पर्यवेक्षक के पद पर संविदा नियुक्ति को निरस्त किया है एवं इसमें विधिवत प्रक्रिया अपनाई गई है। इस आदेश में कोई दुर्भावना व विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 04.07.2003 को चुनौती नहीं दी गई। अपीलार्थी अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश के प्रभाव से 60 वर्ष की आयु होने तक संविदा पर महिला पर्यवेक्षक के पद पर नियत पारिश्रमिक पर कार्यरत रही है एवं उस अनुरूप पारिश्रमिक लाभ का प्रत्यर्थी विभाग द्वारा भुगतान किया जाना स्वीकार है। लिहाजा अपीलार्थी अन्य किसी प्रकार के परिलाभ और नियमितिकरण की हकदार नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

आदेश आज दिनांक 02.08.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)